न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– सचिन यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्याः 18/22 दायर दिनांकः 12.05.2022
जीसीएमएस नं. 2022/15

1.रामभरोसी, 2.बुद्धि, 3.हरीराम, 4.बालकिशन, 5.रमेश पुत्रान श्री लौहरे जातियान जाटव नि. सुहारी, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

——प्रार्थीगण

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
अधिवक्ता– 1.श्री धनेन्द्र कुमार पाण्डेय ——प्रार्थीगण
2.पैरोकार सरकार ——अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 11.07.2024

प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 1473 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम भुसावर प्रथम तह. भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है, जिसका प्रार्थीगण का पिता लौहरे पुत्र भुल्लन चौथाई का खातेदार काश्तकार रहा है। उक्त आराजी का भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नया आ.ख.नं. 1996 रकबा 1.36 हैक्टे. सृजित किया गया।

प्रार्थीगण के पिता लौहरे पुत्र भुल्लन के नाम उक्त आराजी में खातेदारी का इन्द्राज संवत 2013–2016 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। लेकिन बाद में संवत 2021–2024 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा नई जमाबन्दी बनाते समय प्रार्थीगण के पिता का नाम लौहरे पुत्र मुकन्दी बिना किसी आधार पर गलत अंकित कर दिया। जो वर्तमान जमाबन्दी तक प्रार्थीगण के पिता लौहरे पुत्र भुल्लन के स्थान पर लौहरे पुत्र मुकन्दी गलत नाम अंकित होता चला आ रहा है। प्रार्थीगण का पिता अनपछ व अशिक्षित व्यक्ति था, जिसको अपने गलत बल्दियत की जानकारी नहीं का सकी। लेकिन प्रार्थीगण के पिता लौहरे पुत्र भुल्लन का स्वर्गवास हो जाने के बाद प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता द्वारा छोडी गई आराजी का विरासत का दाखिल खारिज अपने हक में दर्ज कराने के लिए हल्का पटवारी से नकल जमाबन्दी प्राप्त करने का निवेदन करने पर प्रार्थीगण के पिता का गलत नाम के इन्द्राज की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थी के कार्यालय में जाकर अपने पिता लौहरे पुत्र मुकन्दी के स्थान पर लौहरे पुत्र भुल्लन दुरूस्त कराकर सही नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज कराने का निवेदन किया। लेकिन अप्रार्थी ने हमेशा टालमटोल करता रहा। इस प्रकार प्रार्थीगण के पिता की बल्दियत भुल्लन के स्थान पर मुकन्दी रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण अपने पिता द्वारा छोडी गई खातेदारी की आराजी का विरासत का नामान्तरकरण अपने हक में दर्ज नहीं करा पा रहें है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी पर मिलने वाली राज्य/केन्द्र सरकार की सहायताओं से भी वंचित होना पड रहा है।

प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पिता लौहरे की बल्दियत मुकन्दी के स्थान पर भुल्लन किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। नोटिस की ताईद में तहसीलदार, भुसावर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड जैसे नकल जमाबन्दी, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र लौहरे आदि का भली–भाँति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख. नं. 1996 रकबा 1.36 हैक्टे. वाके ग्राम भुसावर प्रथम तह. भुसावर में प्रार्थीगण के पिता लौहरे की बल्दियत मुकन्दी के स्थान पर भुल्लन दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)